

विभागाध्यक्ष,
राज.

प्र० सं० 13/2022

अखिल राज्यात / नगर विकास
-पात नीलवाडा

15-4-2026 पत्रावली पेश हुरी, जर्ची व जर्ची अधिवक्ता
अभुषी-चर। विधिवत बाट-बाट आवाज लगाव
पट नी जर्ची की ओर ले करे हीजत गही आपा।
जर्ची व जर्ची के अधिवक्ता का-पायालय समय
तक इन्तकाट किया गया। लिखाजा जर्ची का जर्ची
रेफरेंस अन्तर्गत धारा 18 केन्दीय श्रीम अर्वापर
अधिनियम 1894 अकम पेशवी, अकम हाजरी में
खरीफ किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
होकर गनर ले काम करे

जिला कलक्टर
नीलवाडा

जर्ची
नगर
विकास

कलक्टर
नीलवाडा